

बिहार सरकार
कृषि विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-1/ए0जी0(प्र0)-01/2015.....वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0-4685 वि0(2) दिनांक-25.06.2003 संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-929 दिनांक-30.03.2011 तथा अन्य संगत परिपत्रों के आलोक में बिहार कृषि सेवा कोटि-05 (पौ0सं0) के निम्न पदाधिकारी को "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के प्रावधानों के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में अंकित तिथि से तृतीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0	वरीयता क्रमांक (2016)	पदाधिकारी का नाम एवं पद नाम	सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि	देय एम0ए0सी0पी0 (नियुक्ति की तिथि से 30 वर्षों की नियमित सेवा के पुरा करने की तिथि से)		
				तृतीय एम0ए0सी0पी0	अनुमान्यता की तिथि	पे बैंड/ ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	1/16	श्री रविरंजन प्रसाद केशरी से0नि0, उप कृ0नि0(पौ0सं0) तिरहुत प्रमंडल, गया।	13.02.1979	तृतीय एम0ए0सी0पी0	13.02.2009	PB-3 Grade Pay 7600
2	3/16	श्री प्रभात कुमार, संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना।	01.11.1980	तृतीय एम0ए0सी0पी0	01.11.2010	PB-3 Grade Pay 7600

1. एम0ए0सी0पी0 योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किये जाने पर पदनाम वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. एम0ए0सी0पी0 योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण पदाधिकारी विशेष के लिये पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय पदाधिकारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस ग्रेड वेतन में कनीय पदाधिकारी ने एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत उच्चतर ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है।
3. तृतीय एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत वेतन नियतीकरण/निर्धारण संगत अधिसूचना/संकल्प/परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. भविष्य में संबंधित पदाधिकारियों के संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय संसूचित किये जाते हैं तो वैसी स्थिति में यह वित्तीय उन्नयन तदनुसार प्रभावित होंगे और वित्तीय उन्नयन को संशोधित किया जा सकेगा।
5. यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति उठायी जाएगी तो फलस्वरूप अधिक/कम भुगतान की गयी राशि को तदनुरूप वसूली/सामंजन कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(दिनेश कुमार)

उप सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्रो0)-01/2015

/कृ0, पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्रो0)-01/2015

/कृ0, पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार, पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्रो0)-01/2015

/कृ0, पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्रो0)-01/2015

/कृ0, पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव/उप सचिव (प्रभारी स्थापना), कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (कृषि अभि0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/अपर निदेशक (कृषि अभि0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण/पी0पी0एम0/उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट, बिहार, पूर्णियाँ/संयुक्त निदेशक (शष्य), शिक्षा, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (कृ0अभि0), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, कृषि विभाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-2 तथा कार्यवाहक सहायक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्रो0)-01/2015

/कृ0, पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मंत्री कृषि के आप्त सचिव, कृषि विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

